पैलस्टाइन की समस्या (Problem of Palestine)—प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद मेण्डेट व्यवस्था के अन्तर्गत पैलस्टाइन पैर ब्रिटेन को दे दिया गया था। परन्तु शीघ्र ही अरबों और यहूदियों के मध्य संघर्ष प्रारम्भ हो गया जिससे वहाँ अव्यवस्था और तनाव फैल गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान दोनों जातियों के बीच यह संघर्ष और भी अधिक उग्र हो गया। इस गम्भीर परिस्थिति को देखते हुए इंगलैण्ड ने संयुक्त राष्ट्र-संघ को सूचित किया कि वह पैलस्टाइन में मेण्डेट व्यवस्था को बनाये रखने में असमर्थ है। इस पर संयुक्त राष्ट्र-संघ की महासभा ने पैलस्टाइन की समस्या के अध्ययन तथा इसका हल ढूँढ़ निकालने के लिये विशेष समिति की नियुक्ति की। समिति ने पैलस्टाइन को तीन भागों में विभाजित किये जाने की संस्तुति की—(i) अरब राज्य, (ii) यहूदी राज्य, और (iii) जेरूसलम का राज्य, जिसके शासन की देखभाल का दायित्व संयुक्त राष्ट्र-संघ की संरक्षक परिषद् को दिये जाने का भी निर्णय किया।

विशेष समिति की संस्तुति पर संयुक्त राष्ट्र-संघ ने पैलस्टाइन की समस्या के हल के लिये अपने अन्य कार्यों को करना प्रारम्भ कर दिया। इसने सर्वप्रथम पैलस्टाइन के प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख के लिये एक कमीशन नियुक्त किया ताकि वह उस समय तक प्रशासन के कार्य की देखरेख कर सके जब तक या तो इंगलैण्ड मेण्डेट व्यवस्था के अन्तर्गत उसके कार्य को पुनः प्रारम्भ नहीं करता है और/या दो स्वतन्त्र राज्यों—अरब राज्य व यहूदी राज्य—की स्थापना नहीं होती है। पैलस्टाइन के यहूदी कमीशन के कार्यों से अत्यन्त प्रसन्न थे, तथा उन्होंने इजरायल में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। सन् 1948 को डॉ. चैम विजमैन (Dr. Chaim Weizman) को राष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया। रूस व अमरीका ने तुरन्त ईसाई राज्य को मान्यता प्रदान कर दी। दूसरी ओर अरबों ने पैलस्टाइन के विभाजन की योजना का घोर विरोध किया और यहूदियों के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। परिणामतः पैलस्टाइन में अरब लोग तथा नवस्थापित इजरायल के मध्य गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया।

यह एक जटिल समस्या थी जिसको संयुक्त राष्ट्र-संघ को हल करना था। महासभा ने सामूहिक रूप से मध्यस्थ के माध्यम से पैलस्टाइन की समस्या को हल करने का प्रयास किया। पाँच बड़ों को अधिकार दिया गया कि वे मध्यस्थ के लिये व्यक्ति का चुनाव करें। इन्होंने इस कार्य हेतु स्वीडन के राजा के भतीजे काउण्ट एफ. बर्नाडोटे का चुनाव किया। इसने जेरूसलम के ग्राण्ड मुफ्ती और अरब लीग के मुख्य सैनिक नेता राजा अब्दुल्ला इब्न हुसैन को शान्तिपूर्ण समझौते के लिये प्रेरित किया। उसके प्रयासों के परिणामस्वरूप एक युद्ध विराम सन्धि की गयी और पैलस्टाइन की समस्या को हल कर लिया गया।

कश्मीर समस्या (Kashmir Problem)—शीघ्र ही पाकिस्तान और भारत के मध्य एक समस्या उठ खड़ी हुई। कश्मीर के प्रश्न पर दोनों देशों में शत्रुता की भावना अत्यधिक बढ़ गयी। इस समस्या को भी संयुक्त राष्ट्र-संघ के सामने लाया गया। इसने दोनों देशों के मतान्तरों और शत्रुता को समाप्त करने का हर सम्भव प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र-संघ की मध्यस्थता के कारण ही भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध का अन्त हुआ। लेकिन इस समस्या को स्थायी रूप से हल नहीं किया जा सका। इसे अभी भी एक शान्तिपूर्ण और स्थायी हल की आवश्यकता है।

कोरिया की समस्या (Problem of Korea)—संयुक्त राष्ट्र-संघ के सम्मुख लायी गयी समस्याओं में यह सबसे अधिक जटिल समस्या थी। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ से पूर्व सम्पूर्ण कोरिया पर जापान का प्रभुत्व था। किन्तु द्वितीय महायुद्ध में जापानी सेनाओं द्वारा

Scanned by CamScanner